उद्योग लगाने को कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क खत्म

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगाने वाले, प्लेज पार्क बनाने वाले उद्यमियों को शासन ने बड़ी राहत दी है। कृषि भूमि पर उद्योग लगाने के लिए इन्हें प्राधिकरणों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क नहीं देना होगा। आवास विभाग ने इस संबंध में सात मार्च को आदेश जारी कर दिया है।

प्रदेश सरकार एमएसएमई पार्कों, इंडस्ट्री के लिए पहले उद्यमियों को कृषि भूमि खरीदने के बाद भू-उपयोग बदलने के लिए प्राधिकरणों को काफी शुल्क देना पड़ता था। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क करोड़ों में होता था। इसका भुगतान करने पर ही उद्यमी उद्योग लगा सकते थे। अब भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क शून्य कर दिया गया है। एमएसएमई के लिए कृषि भूमि का औद्योगिक में निःशुल्क भू-उपयोग परिवर्तन होगा। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस सम्बंध में सात मार्च को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने लखनऊ सहित प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों, सभी विशेष क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों, आवास आयुक्त, सभी मण्डलों के कमिश्नर को भी आदेश भेज दिया है। उनसे शासनादेश के मुताबिक एमएसएमई के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निःशुल्क करने को कहा है।